Email/FAX

संख्या– 70 /छः–पु–15–2015

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक,
पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/मण्डलायुक्त

गृह (पुलिस) अनुभाग–15 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषयः– मानव तस्करी एवं मिसिंग चिल्ड्रेन के बारे में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन।

महोदय,

कृपया आपका ध्यान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गए दो आदेशों की ओर आकर्षित कराना है कि ''बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य'' दिनॉक 17 जनवरी, 2013 एवं दिनॉक 10 मई, 2013 के अंतर्गत निर्गत किये गए हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मुझे आपसे यह कहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि:

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 17 जनवरी, 2013 में महिला एवं बच्चों के विरूद्ध मानव तस्करी के प्रकरणें में सख्त निर्देश दिये गए हैं कि खोए हुए बच्चों के बारे में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसी समय तत्काल (मैनडेटरी) एफ0आई0आर0 दर्ज करना होगा। इसके साथ–साथ स्पेशल जुवनैल पुलिस यूनिट के एक–एक आधिकारी को प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर तैनात किये जाने के निर्देश दिये गए हैं (जुनैल जस्टिस केयर एण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन रूल्स–2007 के क्रम में)। (Mandatory recording of FIR regarding missing children in police stations and formation of Special Juvenile Police Units in different States in accordance with S-63 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 (as amended in 2006) - Complaint with regard to missing children should be reduced into a FIR and follow-up investigation taken up immediately thereafter – States to ensure that one officer of Special Juvenile Police Unite is stationed at every police station, in accordance with Juvenile Justice (Care and Protection of Children Rules, 2007)

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनॉक 10 मई, 2013 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये गए हैं कि 18 साल की उम्र के नीचे जब भी कोई बच्चा खोने की शिकायत पुलिस के संज्ञान में आएगी, उस बच्चे को मिसिंग माना जाएगा और

(जुवनैल जस्टिस केयर एण्ड प्रोटेक्शन एक्ट–2000 के सेक्शन–34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 62, 62ए, एवं 63 से वह आच्छादित होगा। (Crimes Against Women and Children – Trafficking – Missing child – Definition of – OM dt. 31-1-2012, by ministry of Home Affairs, Government of India, advisory on missing children and trafficking defining missing child as a person below 18 yrs of age, whose whereabouts are not known to parents, legal guardians and any other person, legally entrusted with custody of child, whatever may be circumstances/causes of disappearance, accepted by Supreme Court – Further held, such child will be considered missing and in need of care and protection within meaning of latter part of Juvenile Act, until located and/or his/her safety/well being is established- Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, 2000, Ss. 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 62, 62-a and 63). (कृपया अद्यावधिक जे0जे0 एक्ट–2015 का भी अवलोकन करने का कष्ट करें)।

जहॉ भी कोई बच्चा मिसिंग है और कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गई है, तत्काल प्रभाव से मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आई0पी0सी0 के सेक्शन–359, 362, 366ए, 368, 369, 370 और 370ए के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे बच्चों को मानव तस्करी का शिकार माना जाएगा तथा पूरे समर्पण के साथ पुलिस द्वारा उन्हें ढूँढे जाने का प्रयास किया जाएगा। (Crimes Against Women and Children – Trafficking – Held, cases of missing child not recovered within four months from date of filing FIR may be forwarded to Anti- Human Trafficking Unit in each State for more intensive investigation and such Unit to file periodical status reports after every three months to keep Legal Services Authorities updated – In cases where FIR not lodged at all and child is still missing, FIR to be lodged within a month from date of communication of instant Supreme Court order – Penal Code, 1860, Ss. 359, 362, 366-A, 368, 369, 370 and 370A).

यह भी उल्लेख किया जाना गलत नहीं होगा कि जिसप्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम –2012 के सेक्शन–21, सब सेक्शन–1 तथा धारा 166ए0 ऑफ आई0पी0सी0 में एफ0आई0आर0 न दर्ज किये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध दण्ड की स्पष्ट व्यवस्था की गई है, उसीप्रकार मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों के बारे में भी कोई लापरवाही किया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक प्रतिमाह होने वाली मासिक काइम बैठक में मिसिंग चिल्ड्रेन एवं मानव तस्करी के प्रकरणों पर गहराई से समीक्षा करें एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सभी प्रकरणों में सक्षम धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

डिवीजनल कमिश्नर/महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक स्तर पर भी मानव तस्करी से संबंधित प्रकरणों पर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिमाह रिव्यू बैठक का आयोजन किया जाए।

प्रत्येक जोनल पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से अपने जोन से संबंधित सभी मानव तस्करी में दर्ज प्रकरणों की अद्यावधिक स्थिति की रिपोर्ट महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ एवं गृह पुलिस अनुभाग–15 को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें।

कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त दोनों आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। "बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य" Writ Petition © no-75 of 2012 with CP © no-186 of 2013 in WP © no-75 of 2012, decided on May 10, 2013 एवं Writ Petition © no-75 of 2012 , decided on January 17, 2013 के निर्देशों को इण्टरनेट पर भी देखा जा सकता है।

भवदीय,

16.2.2016

(कमल सक्सेना)
सचिव

संख्या– 70 (1)/छः–पु–15/2015, तद्दिनांक

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, अभियोजन।

आज्ञा से,

16/2/16

(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव